चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा घर में घुसकर बलात्कार,हत्या का प्रयास,गाली गलौच,मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.04.2026 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि अभियुक्त 1.बडाभईया उर्फ रामअवतार पुत्र नंदलाल यादव 2.मुन्नी यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद 3.बुआ का लडका नाम अज्ञात निवासीगण भौटी का पुरवा मजरा खण्डेहा थाना मऊ द्वारा आवेदिका के घर में घुसना बडाभईया उपरोक्त द्वारा आवेदिका की साडी खोलकर जमीन पर पटक देना, अश्लील हरकत करना ,बीच बचाव करने आये सास ससुर से गाली गलौच मारपीट ,जान से मारने की धमकी देना एवं पति की गर्दन दबाकर जान से मारने का प्रयास करना सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 133/26 धारा 75(1),76,110,115(2),333,351(3),352 बीएनएस एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बडाभईया उपरोक्त के विरुद्ध धारा 64(1) की बढ़ोतरी की गयी। आज दिनाँक 11.05.2026 को उ0नि0 राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 133/26 धारा 64(1),110,115(2),333,351(3),352 बीएनएस एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त बडाभईया उर्फ रामअवतार उपरोक्त को अभियुक्त के घर भौटी का पुरवा मजरा खण्डेहा थाना मऊ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय

2.आरक्षी नंदलाल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बृजबिहारी व उनकी टीम द्वारा 06 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

थाना राजापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1.राजेश पुत्र बेला रैदास 2.लवकुश पुत्र जवाहरलाल 3.वीरभान पुत्र धर्मराज 3.संतोष पुत्र इन्द्रकरण 4.हरिश्चन्द्र पुत्र रामविलाश 5.रामदयाल पुत्र हरछटिया निवासीगण सरावलमाफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 2610/- रूपए व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 1540/- रुपए बरामद किए गए।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री बृजबिहारी

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

3.आरक्षी शाकिर अली

4.मनीष यादव

(4).आज दिनाँक 10.05.2026 अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही वर्तमान समय में साइबर ठगों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र,सीबीआई,ईडी,एटीएस के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का शिकार किया जा रहा है,जिससे बचने हेतु जागरूक किया गया। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका कुसुमा पुत्री बैजू पत्नी शिवशंकर निवासी अमानपुर बेडीपुलिया थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट द्वारा अपने पति शिवशंकर पुत्र नन्हेलाल निवासी कमासिन जनपद बांदा एवं ससुरालीजनों के विरुद्ध मारपीट कर घर से निकाल देना, जान से मारने की धमकी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला आरक्षी शबनाज